

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/265

दिनांक- 12/7/19

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह भाटी (लिंक नम्बर 9362), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरदारशहर, चूरु से संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भाटी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री भाटी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 12/7/19 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूंकि श्री भाटी का खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरदारशहर, चूरु में कार्य करने का अधिकार एतद् द्वारा समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त, श्री भाटी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/265

दिनांक- 12/7/19

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरदारशहर, चूरु को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर।
3. श्री गजेन्द्र सिंह भाटी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरदारशहर, चूरु को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/ 266

दिनांक- 12/7/19

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री तिलकेश्वर प्रसाद धुप्पड (लिंक नम्बर 5512), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा से उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, भीलवाड़ा किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री धुप्पड द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री धुप्पड को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 12/7/19 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूँकि श्री धुप्पड का खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा में कार्य करने का अधिकार एतद् द्वारा समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त, श्री धुप्पड को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/ 266
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक- 12/7/19

1. खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, भीलवाड़ा।
3. श्री तिलकेश्वर प्रसाद धुप्पड, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/267

दिनांक- 12/8/19

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री राजेश कुमार कडेरा (लिंक नम्बर 9588), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नीमराना (अलवर) से उपकोषालय, बहरोड़ (अलवर) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कडेरा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री कडेरा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 12/8/19 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूंकि श्री कडेरा का विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नीमराना (अलवर) में कार्य करने का अधिकार एतद् द्वारा समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त, श्री कडेरा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/267

दिनांक- 12/8/19

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नीमराना (अलवर) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मों को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. उपकोषालय, बहरोड़ (अलवर)।
3. श्री राजेश कुमार कडेरा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नीमराना (अलवर) को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/ 268

दिनांक- 12/7/19

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री प्रमोद कुमार (लिनक नम्बर 9137), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, अजमेर से राजस्व मण्डल, अजमेर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रमोद कुमार द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री प्रमोद कुमार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 12/7/19 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूंकि श्री प्रमोद कुमार का उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, अजमेर में कार्य करने का अधिकार एतद् द्वारा समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त, श्री प्रमोद कुमार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/ 268

दिनांक- 12/7/19

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, अजमेर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. श्री प्रमोद कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, अजमेर को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/ 269

दिनांक- 12/7/19

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री बनवारीलाल सुनार (लिंक नम्बर 4990), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरु से जिला परिषद् (ग्राविप्र), चूरु किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुनार द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री सुनार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 12/7/19 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूँकि श्री सुनार का जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरु में कार्य करने का अधिकार एतद् द्वारा समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त, श्री सुनार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/ 269

दिनांक- 12/7/19

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरु को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मों को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. जिला परिषद् (ग्राविप्र), चूरु।
3. श्री बनवारीलाल सुनार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरु को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)